

राजस्थान सरकार
राजस्थान | पुन-8 | विभाग

प्रतिदि: - 4-6/7/राज-8/98

जयपुर, तिनादि: - 18-3-2000

-: अधिसूचना :-

राजस्थान पुन-राजस्थान अधिनियम, 1956 | राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956 | की धारा 20(क) | 111 | द्वारा प्रस्ताव अधिसूचना का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के ली सुरेश कुमार नवल परीक्षार्थी अधिकाारी को निम्ने कार्यक विभाग के आदेश प्रतिदि 4-11/10/कांदि/व-4/99 तिनादि 20-1-2000 के द्वारा नामीर विभा में लहायक कोष टर एड कार्यालय नौबट्टे(प्रशिक्षण) के पद पर पदस्थापित किया है, को लहायक कोषटर एवं कार्यालय नौबट्टे उन्ने केनाधिकार के नीतर नियुक्त करती है ।

राज्यपाल की आज्ञा है,

Sd-

| शिव कुमार वर्मा |
शासन उप सचिव

प्रतिदिदि विभागीयित को सुनारी रदीयययक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, राजस्थान सी/मुख्य सचिव/राजस्थान सचिव।
- 2- संभारीय आह्वय, लीकार।
- 3- संभारीय विभा कोष टर- सौरा।
- 4- निदेशक, राजस्थान प्रशासन, जयपुर।
- 5- निदेशक सुनारा एवं जयपुरी निदेशक, जयपुर।
- 6- निदेशक, राज्य केन्द्रीय सुनारायक, जयपुर को राजस्थान के आचारणार्थ
1 तिनादि 18-3-2000 में प्रकाशनी ।
- 7- "राजिरी" राजस्थान प्रशासन, जयपुर ।
- 8- विधि संहिताकरण विभाग ।
- 9- उप निदेशक | विवरण एवं सेवा | राजस्थान प्रशासन, जयपुर ।
- 10- लीकार लहायक क लीकार ।
- 11- कार्यादि | 4-4 | विभाग ।
- 12- रजिस्ट्रार कार्यावाही ।

Jm

शासन उप सचिव